तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 केम्प में पेश हुई। उभय पक्षकारान उप.। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 150 बीघा मौजा ग्राम भडला पटवार हल्का नुरे की भुर्ज की भूमि कब्जा काश्त की भूमि है। जिसमें वक्त सेटलमेंट से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर रहवासी ढाणी, टांका भी बना हुआ है। अतः प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्व तादावा फैसला निषेधाज्ञा अस्थाई जारी फरमाई जावे। बहस का जबाब देते हुये तहसीलदार बाप ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण अतिक्रमी रहे है तथा समय–समय पर उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल किया जा रहा है। प्रार्थीगण का कभी भी निरन्तर कब्जा काश्त वाद ग्रस्त भूमि पर नहीं रहा है। प्रार्थीगण सरकारी भूमि को अवैध रूप से हडपना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाये जाते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो। (राजेन्द्र कुमार डांगा) सहायक कलेक्टर सहायक कलेक्टर-बाप केम्प बाप (जोधपुर) राजस्व लोक अदालत-	

वादग्रस्त खसरा का ग्राम भडला ...
प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में ...